Social Security Now!

POORA KAAM, POORA DAAM
POORI SURAKSHA, POORA MAAN

# SUGGESTED AMENDMENTS TO THE UNORGANISED WORKERS' SOCIAL SECURITY ACT, 2008

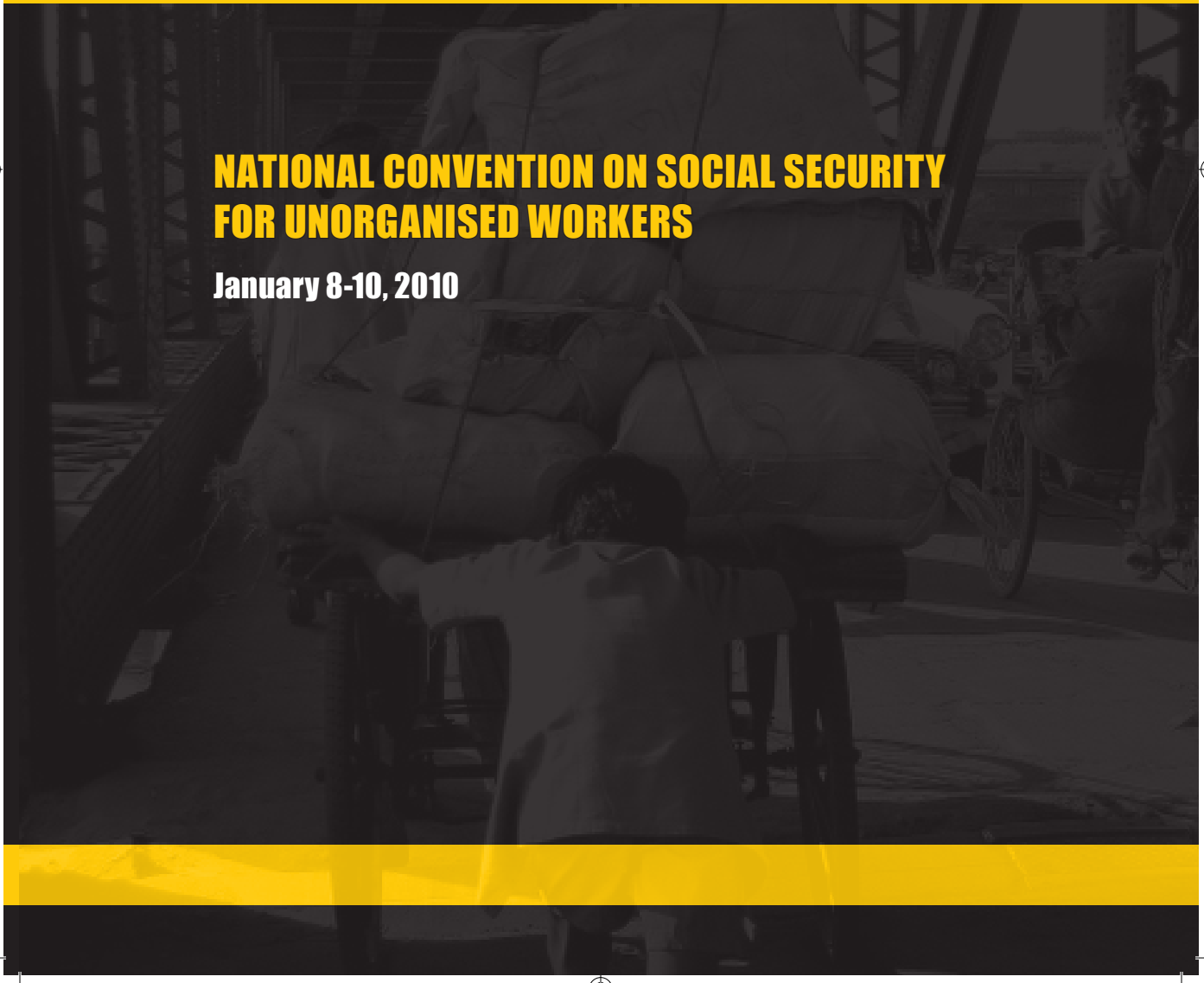

## NATIONAL CONVENTION ON SOCIAL SECURITY FOR UNORGANISED WORKERS

January 8-10, 2010

# SUGGESTED AMENDMENTS TO THE UNORGANISED WORKERS' SOCIAL SECURITY ACT, 2008

## NATIONAL CONVENTION ON SOCIAL SECURITY FOR UNORGANISED WORKERS

January 8-10, 2010

# Suggested Amendments to the Unorganised Workers' Social Security Act, 2008

**Given below are important amendments 'Social Security Now' proposes to overcome the deficiencies in the Unorganised Workers Social Security Act, 2008 and to make it relevant and meaningful to about 40 crore unorganised workers in India.**

## 1. Definitions not Inclusive

The Act is premised on a clear distinction between 'organised' and 'unorganised' sectors, despite the contrary argument that such firm distinctions cannot be drawn and these form a continuum with clear inter-linkages. Contrary to the usual practice of defining unorganised as a residue of the organised, the Act defines organised as a residue of the unorganised. This has been done by defining 'unorganised sector' as establishments that employ less than 10 workers.

Thus Section 2(l) needs to be amended deleting coverage of enterprises employing less than 10 workers.

### Proposed Amendment

Section 2 (l)- " unorganized sector" means an enterprise owned by individuals or self employed workers and engaged in the production or sale of goods or providing service of any kind whatsoever and where the enterprise does not fall under the definition of factories in Factories Act, 1948.

## 2. Social Security not Defined

The Act does not give any clarity on what the State means by 'Social Security'. Chapter II explains the possible schemes of social security. Social security cannot be reduced to schemes but should be articulated from the perspective of rights derived from constitutional rights and principles.

### Proposed Amendment

An additional sub section may be added as section 2(i) unless otherwise provided in this Act or schemes made there under "social security" means measures by the government in collaboration with employer, worker or otherwise, designed to meet the contingencies in life of a worker, namely old age pension, unemployment benefits, maternity benefits, livelihood loss compensation, accident and medical care, provident fund etc.

## 3. Definition Excludes Workers Dependent on Livelihood Systems

The definitions exclude workers dependent on livelihood systems - like forest workers and fishworkers, who could not be brought within the ambit of 'home-based worker', 'self-employed worker', and 'wage worker'. For instance, most of the traditional fishworkers in India follows a sharing system, in which the catch is shared among the boat owner and the crew.

### Proposed Amendment: Section 2 (m)

Section 2 (m) reads as "unorganised worker" means a home based worker, self employed worker or a wage worker in the unorganized sector and included a worker in the organized sector who is not covered by any of the Acts mentioned in Schedule II to this Act; and

In section 2(m) following words should be added after the words, who is not covered… and includes workers dependent on traditional livelihood systems as specified in the schedule.

## 4. Definition Excludes Unpaid Women Workers and Unpaid Family Members

In this Act, the unpaid women workers are not covered as they do not fall within the definitions of 'home-based worker', 'self-employed worker', or 'wage worker'. In all these definitions, wage or monthly earnings are a precondition for being considered as 'unorganised worker'. The definition of 'self-employed worker' should include unpaid women workers, unpaid family members engaged in the work done by the family for livelihood, and workers paid in kind.

### Proposed Amendment: Section 2 (k)

Section 2 (k) read as "Self-employed worker' means any person who is not employed by an employer, but engages himself or herself in any occupation in the unorganised sector subject to a monthly earning of an amount as may be notified by the central government or the state government from time to time or holds cultivable land subject to such ceiling as may be notified by the state government (following words should be added here) and also includes unpaid women worker and unpaid family member engaged in household or other family occupations.

## 5. No Justiciable Social Security to Unorganised Workers

A justiciable right is one in which the aggrieved individual can seek remedy in a court of law. To make a right justiciable, it should be defined and be available for the individual for a sufficiently long period of time. Although the stated objective of the Act is to provide social security and welfare to the unorganised workers, the Act does not confer any defined right to social security for them. In the Act, social security schemes are not included as part of the body of the Act and are given in a schedule. This essentially means that schemes can be changed at any point of time by a notification, and not after discussion in the Parliament, thereby denying the workers the benefit of consistency and justiciability.

### Proposed Amendment

Section 3.(1) be modified to begin with

The Central Government may, by notification in the Official Gazette, frame schemes to be called the Unorganised Workers Social Security Fund Schemes for the establishment of Social Security fund under this Act for unorganized workers as defined in this Act, to whom the said Schemes shall apply and there shall be established, as soon as may be after the framing of the Schemes, a Fund in accordance with the provisions of this Act and the Schemes on matters relating to-

Section 3(2) may be modified as follows:

The schemes included in the Schedule I to this Act be suitably amended to include all unorganized workers as defined in the Act and by notification in the Official Gazette, be made social security schemes under this Act.

## 6. Privatisation of Insurance Schemes

The government should consider extending the ESIC schemes to all workers rather than inviting private sector firms to manage health schemes for unorganised workers, in which the contribution by government of India will be a transfer of public funds to private agencies. The medical care, maternity benefit and accident compensation schemes should not be private insurance based. These schemes need to contain such clause:

### Proposed Amendment

Add Section 3(3)(a), which reads, "The protection and benefit under any scheme constituted under the Unorganised Workers Social Security Fund Schemes shall be managed by or under the authority of the government or any nationalized financial institution".

## 7. Social Security not Universal and, therefore, Constitutionally Invalid

Most of the schemes are available only for BPL workers. A person earning more than Rs.12 per day in a village is not considered BPL as per the current BPL norms, which leave a large proportion of the deserving poor outside the safety net. The Central Vigilance Commissioner (CVC) has, therefore, recommended enhancing the number of BPL families. By this restrictive clause in the schemes, more than 90 per cent of the unorganised workers, the contingencies of whose lives have pushed them into poverty and increased vulnerabilities, are, in effect, denied the benefits of the schemes mentioned in the schedule of the Act.

In the Schemes given in the Schedule I of the Act, unorganised workers, except the BPL workers, have been generally excluded from enjoying the benefits of the schemes, and, therefore, from the benefits of the Act. This generalised exclusion is constitutionally invalid. It is in violation of Article 14 of the Constitution, which does not permit generalised discrimination.

### Proposed Amendment

The act should specifically provide:

Section 3(2) may be modified as follows: The schemes included in the Schedule I to this Act be suitably amended to include all unorganised workers as defined in the Act and by notification in the Official Gazette, be made social security schemes under this Act.

## 8. (A) Livelihood Rights not Part of Social Security Benefit (B) The Act Should be Inclusive

Livelihood rights are not mentioned in the list of schemes under Section 3(1).

The Act should pay special attention to those individuals and groups, who have traditionally faced difficulties in exercising rights. Additional measures are necessary for adivasis to protect their right to water, land and forest, and for dalit workers to ensure their right to land and against discrimination; for women to ensure social security protections as independent beneficiaries, aginst violence, harassment and discrimination, and for other excluded categories like sex workers, eunuch, handicap, abandoned old people/sick people.

### Proposed Amendment

Modify Section 3(1) of the Act as:

Section 3(1): The Central Government may, by notification in the Official Gazette, frame schemes to be called the Unorganised Workers Social Security Fund Schemes for the establishment of Social Security fund under this Act for unorganized workers as defined in this Act, to whom the said Schemes shall apply and there shall be established, as soon as may be after the framing of the Schemes, a Fund in accordance with the provisions of this Act and the Schemes on matters relating to-

a) life and disability cover;

b) health and maternity benefits;

c) old age protection;

d) livelihood protection

e) additional protection to Dalits, women, adivasi, other excluded groups like sex workers, eunuch, handicap, abandoned old people/sick people and

f) any other benefit as may be determined by the Central Government.

## 9. Inadequacy of Benefits

### Proposed Amendment

The benefits and protections of healthcare, maternity leave and pension should be need-based and not minimum. In cases where the pension is not defined, the criteria for assessing the pension amount should be 50 per cent of the last wage earned by the employee.

Add new section 3(1)A as

Section 3(1)A : The social security schemes made under this Act shall provide medical, maternity and accident care with hospitalization as per the medical needs without any cost ceiling; the compensation shall be as per Workman Compensation Act and the pension on attaining sixty years of age shall be fifty per cent of the need based wages fixed by the Central Government.

## 10. No Nodal Ministry or Administrative Mechanism for Implementation

In Section 8 - the record keeping functions for the purpose of this Act shall be performed by the District Administration:

Provided that the State Government may direct that the record keeping function shall be performed by-

a) the District Panchayat in rural arrears; and

b) the Urban Local Bodied in urban areas.

For effective implementation of any Act, a nodal ministry is essential, to bring coherence, monitoring and consistency to the delivery of social security rights and a well-defined administrative mechanism. The national and the state Social Security Boards are not vested with enough powers to administer the social security schemes.

### Proposed Amendment

Under section 8 a sub section should be added as:

Section 8 (1) The National Social Security Board and State Social Security Board shall be having secretariat in the ministry of labour of the government of India or the governments of the states, as the case may be and the secretary of respective ministry shall be responsible for the overall administration, finance, annual report, enforcement, RTI and to the parliament or state legislature as the case may be.

## 11. No Social Security Fund

The absence of a financial memorandum to the 2008 Act as well as the non-allocation of funds for social security for unorganised workers in 2008–09 and 2009–10 budgets casts doubts on the genuineness of government's intentions in delivering social security rights to the unorganised workers in India. The Act should have provided for the creation of a Social Security Fund, and a financial memorandum for budgetary allocation for the Fund.

### Proposed Amendment

We suggest for adding a clause under Section 4(1) of the Act as under.

Section 4(1)A: There shall be created a 'National Social Security Fund' and all contributions, grants, donations and other proceeds shall be deposited with the 'National Social Security

Fund'. The Government of India shall make budgetary provisions for transferring budget allocation for social security for unorganised workers to this Fund subject to minimum of five percent of the total budget.

## 12. Absence of Grievance Redressal Machinery

The fairness and effectiveness of the implementation of the Act greatly depends on the availability of a functional institution of grievance redressal mechanism, through which workers have recourse to a method for voicing their complaints about violations.

### Proposed Amendment

A new Chapter be added on Dispute Settlement:

Chapter VII(1): The government should formulate a model Dispute Settlement Mechanism for unorganised workers of each occupations involving local administration, employers, police and other authorities for resolving disputes and grievances relating to employment, livelihood, encroachment, displacement, land rights, discrimination, state actions etc with powers to grievance redressal authority to enforce attendance, take evidence, inspections and investigations, seize records and such other powers as necessary to resolve dispute or differences amicably between parties and if necessary to refer the dispute for arbitration.

## 13. Inconsistencies in the Constitution and Powers of the Board

The Act is for unorganized workers, but the representation of workers is from unorganized sector.

The Social Security Boards have only advisory role according to the Act. The Board will be effective only if they are given powers to administer and enforce.

### Proposed amendments

The word, 'sector' to be deleted from Section 5(2)(c)(i) and Section 5(2)(c)(ii).

Replace the word, 'monitor' in Section 5(8)(c) by the words 'administer and enforce' to read

Section 5(8)(c): administer and enforce such social security schemes for unorganized workers as are as administered by the Central Government.

Section 6(8)(c): administer and enforce such social security schemes for unorganized workers as are as administered by the State Government.

## 14. Registration of Employer

The Act does not bestow any responsibility on the employer, wherever, an employer-employee relationship exists. The Act should provide for the registration of an employer of an unorganised worker, as the case may be.

# असंगठित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 में प्रस्तावित संशोधन

## असंगठित मज़दूरों की सामाजिक सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन

**8-10 जनवरी, 2010**

# असंगठित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 में प्रस्तावित संशोधन

नीचे हमने असंगठित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की कमियों को दूर करने के लिए 'सामाजिक सुरक्षा अभी' द्वारा सुझाए गए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन दिए हैं। इन संशोधनों के जरिए हम इस कानून को भारत के लगभग 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र मजदूरों के लिए प्रासंगिक और सार्थक बनाना चाहते हैं।

## 1. परिभाषा समावेशी नहीं है

यह कानून 'संगठित' और 'असंगठित क्षेत्र' के बीच एक स्पष्ट विभेद पर आधारित है हालांकि इस मान्यता के विरोध में अक्सर यह तर्क दिया जाता रहा है कि मजदूरों के बीच ऐसे विभेद का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि दोनों क्षेत्रों के बीच बहुत गहरे संबंध हैं। असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र के अवशेष के रूप में परिभाषित करने की अब तक की परंपरा के विपरीत इस अधिनियम में संगठित क्षेत्र को ही असंगठित क्षेत्र का अवशेष परिभाषित किया गया है। इसके लिए 'असंगठित क्षेत्र' को ऐसे प्रतिष्ठानों के रूप में परिभाषित किया गया है जहां मजदूरों की संख्या 10 से कम है।

इस प्रकार, इस कानून के अनुच्छेद 2(1) में संशोधन किया जाना चाहिए और ऐसे प्रतिष्ठानों को कवरेज के दायरे से बाहर रखना चाहिए जिसमें 10 से कम मजदूर हैं।

### प्रस्तावित संशोधन

अनुच्छेद 2(1) - "असंगठित क्षेत्र" का आशय एक ऐसे उद्यम से है जो संबंधित उद्यम में उत्पादन या वस्तुओं की बिक्री या किसी भी प्रकार की सेवा उपलबध कराने वाले व्यक्तियों या स्वरोजगारयुक्त कामगारों के स्वामित्व में चल रहा है और जहां यह उद्यम फैक्टरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत फैक्टरी की परिभाषा में नहीं आता हो।

## 2. सामाजिक सुरक्षा परिभाषित नहीं है

अधिनियम में इस बात को भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि राज्य की नजर में 'सामाजिक सुरक्षा' का क्या अर्थ है। अध्याय 2 में सामाजिक सुरक्षा की संभावित योजनाओं के बारे में स्पष्ट किया गया है। हमारे विचार में सामाजिक सुरक्षा को ऐसी योजनाओं में सीमित नहीं किया जा सकता बल्कि उसे संवैधानिक अधिकारों व सिद्धांतों पर आधारित अधिकारों की दृष्टि से परिभाषित किया जाना चाहिए।

### प्रस्तावित संशोधन

अनुच्छेद 2(1) के रूप में एक अतिरिक्त उप-अनुच्छेद जोड़ा जा सकता है - जब तक इस अधिनियम या इसके तहत बनाई गई योजनाओं में ऐसा न कहा गया हो तब तक "सामाजिक सुरक्षा" का आशय सरकार द्वारा नियोक्ताओं, कामगारों या अन्य तबकों के साथ मिलकर किए गए ऐसे उपायों से है जिनका मकसद किसी मजदूर के जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी लाभ, प्रसूति लाभ, आजीविका क्षति मुआवजा, दुर्घटना एवं ईलाज, भविष्य निधि आदि के रूप में सहायता प्रदान करना है।

## 3. परिभाषा में आजीविका प्रणालियों पर आश्रित मजदूरों को भी बाहर रखा गया है

अधिनियम में दी गई परिभाषाओं में आजीविका प्रणालियों पर आश्रित मजदूरों को शामिल नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, वन कामगारों और मछुआरों को असंगठित क्षेत्र श्रमिकों की परिभाषा में नहीं रखा गया है। इन्हें 'घरखाता

मजदूर', 'स्वरोजगारी मजदूर' तथा 'उजरती मजदूर' की परिधियों में नहीं रखा जा सकता। उदाहरण के लिए, भारत के ज्यादातर मछुआरे एक साझेदारी व्यवस्था में काम करते हैं जिसमें पकड़ी गई मछलियों की मात्रा को नौका मालिक और नौका मजदूरों के बीच एक निश्चित व्यवस्था के तहत बांट लिया जाता है।

### प्रस्तावित संशोधनः अनुच्छेद 2(एम)

अनुच्छेद 2(एम) के अनुसार "असंगठित क्षेत्र मजदूर" का आशय घरखाता मजदूर, स्वरोजगारी मजदूर तथा उजरती मजदूरों से है और उनमें संगठित क्षेत्र के ऐसे मजदूर भी शामिल हैं जिनको इस कानून की अनुसूची 2 में उल्लिखित किसी कानून में शामिल नहीं किया गया है; तथा

अनुच्छेद 2(एम) में जिनको शामिल नहीं किया गया है... के बाद इन शब्दों को जोड़ा जाना चाहिए, "तथा ऐसे मजदूर जो अनुसूची में उल्लिखित परंपरागत आजीविका प्रणालियों पर आश्रित हैं।"

## 4. परिभाषा में गैर-उजरती महिला कामगारों और गैर-उजरती परिजनों को शामिल नहीं किया गया है

इस अधिनियम में गैर-वेतनभोगी महिला कामगारों को असंगठित क्षेत्र मजदूर नहीं माना गया है क्योंकि वे 'घरखाता मजदूर', 'स्वरोजगारी मजदूर' या 'उजरती मजदूर' की परिभाषा में नहीं आतीं। इन सारी परिभाषाओं में 'असंगठित क्षेत्र श्रमिक' की परिभाषा के तहत आने के लिए मजदूरी या मासिक आय को पूर्व शर्त माना गया है। 'स्वरोजगारी मजदूर' की परिभाषा में गैर-वेतनभोगी महिला कामगार, गैर-वेतनभोगी पारिवारिक सदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए जो आजीविका के लिए पूरे परिवार के काम में हाथ बंटाते हैं और जिन्हें पैसे के बजाय वस्तु या साधनों के रूप में पारिश्रमिक मिलता है।

### प्रस्तावित संशोधन : सत्र 2 (के)

अनुच्छेद 2(के) कहता हैः "स्वरोजगारी मजदूर" का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी नियोक्ता के पास काम नहीं करता/करती बल्कि असंगठित क्षेत्र में अपने स्तर पर किसी व्यवसाय में काम करता/करती है और केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मासिक आय अर्जित करता है या जिसके पास राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सीमा तक खेती योग्य जमीन है ( आगे के शब्द यहां जोड़े जाने चाहिए) और जिनमें ऐसी गैर-वेतनभोगी महिला कामगार और गैर-वेतनभोगी पारिवारिक सदस्य भी शामिल हैं जो पारिवारिक उद्यमों या व्यवसायों में काम कर रहे हैं।

## 5. असंगठित क्षेत्र श्रमिकों के लिए कोई न्यायसिद्ध (Justiciable) सामाजिक सुरक्षा नहीं

एक न्यायसिद्ध अधिकार ऐसा अधिकार होता है जिसे व्यक्ति अदालत में जाकर मनवा सकता है या साबित कर सकता है। किसी अधिकार को न्यायसिद्ध अधिकार बनाने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले उसे परिभाषित किया जाए और वह लोगों को पर्याप्त रूप से लंबे समय तब उपलबध हो। हालांकि प्रस्तुत कानून का घोषित उद्देश्य यह है कि असंगठित क्षेत्र मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं लेकिन यह कानून इन मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का परिभाषित अधिकार नहीं देता। इस कानून में तो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को कानून के हिस्से के रूप में भी शामिल नहीं किया गया है बल्कि उन्हें सिर्फ एक अनुसूची में शामिल किया गया है। इसका मतलब यह है कि इन योजनाओं को संसद में समुचित चर्चा के बिना केवल एक अधिसूचना के द्वारा किसी भी समय बदला जा सकता है और इस तरह मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के स्थिर और न्यायसिद्ध अधिकार से वंचित किया जा सकता है।

### प्रस्तावित संशोधन

अनुच्छेद 3(1) को इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए - केंद्र सरकार अधिकृत गजट में अधिसूचना के जरिए

असंगठित क्षेत्र श्रमिक सामाजिक सुरक्षा निधि योजना नामक योजना बना सकती है जिसके जरिए इस अधिनियम के तहत परिभाषित असंगठित क्षेत्र मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि स्थापित की जाएगी। यह निधि इस अधिनियम के तहत उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन के पश्चात इस अधिनियम के प्रावधानों और अग्रलिखित से संबंधित मामलों के अनुसार तत्काल गठित कर दी जाएगी -

अनुच्छेद 3(2) को इस प्रकार संशोधित किया जा सकता है :

इस अधिनियम की अनुसूची में शामिल की गई योजनाओं में उचित संशोधन किया जाना चाहिए ताकि अधिनियम में परिभाषित और सरकारी गजट में अधिसूचना के जरिए घोषित सभी असंगठित क्षेत्र मजदूरों को उन योजनाओं में शामिल किया जा सके और उन्हें इस अधिनियम के तहत लाया जा सके।

## 6. बीमा योजनाओं का निजीकरण

सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि असंगठित क्षेत्र मजदूरों के लिए स्वास्थ्य योजनाएं चलाने के वास्ते निजी क्षेत्र की कंपनियों को आमंत्रित करने के बजाय सभी मजदूरों को ईएसआईसी योजना उपलब्ध करायी जाए। असंगठित क्षेत्र मजदूरों के लिए स्वास्थ्य योजनाएं चलाने के वास्ते निजी क्षेत्र की कंपनियों को आमंत्रित करने से तो भारत सरकार के हिस्से के रूप में सार्वजनिक धन ही निजी कंपनियों के हाथों में चला जाएगा। गौर करने की बात है कि ईलाज, प्रसूति लाभ और दुर्घटना मुआवजा योजनाएं निजी बीमे की व्यवस्था पर आधारित नहीं होनी चाहिए। इन योजनाओं में इस प्रकार का प्रावधान नहीं होना चाहिए ।

### प्रस्तावित संशोधन

अनुच्छेद 3(3)(ए) जोड़ा जाए जो इस प्रकार है, "असंगठित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा निधि योजनाओं के अंतर्गत गठित किसी भी योजना के तहत सुरक्षा और लाभ सरकार या किसी राष्ट्रीयकृत वित्तीय संस्थान के अधिकार में या उसके अंतर्गत होंगे।"

## 7. सामाजिक सुरक्षा सार्वभौमिक नहीं है इसलिए संवैधानिक रूप से अवैध है

ज्यादातर योजनाएं केवल बीपीएल मजदूरों के लिए उपलब्ध हैं। अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति 12 रुपये रोजाना से ज्यादा कमा रहा है तो उसको मौजूदा मानकों के हिसाब से बीपीएल श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि करोड़ों जरूरतमंद गरीब भी इस सुरक्षा व्यवस्था की परिधि से बाहर छूट गए हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) ने सुझाव दिया है कि बीपीएल परिवारों की संख्या में उल्लेखनीय इजाफा किया जाना चाहिए। संबंधित योजनाओं में इस बंधनकारी प्रावधान की वजह से 90% से ज्यादा असंगठित क्षेत्र मजदूर गरीबी की परिभाषा से बाहर चले गए हैं और हर तरफ से असुरक्षित रह गए हैं। ये ऐसे मजदूर हैं जिनके जीवन विभिन्न आपात स्थितियों की वजह से संकटग्रस्त हैं और जिन्हें अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित योजनाओं के लाभों से वंचित रखा जा रहा है।

अधिनियम की अनुसूची में दी गई योजनाओं में बीपीएल मजदूरों के अलावा आमतौर पर सभी असंगठित क्षेत्र मजदूरों को विभिन्न योजनाओं के लाभों से वंचित रखा गया है। इस प्रकार, कायदे से वे अधिनियम के लाभों से वंचित हैं। यह चहुंमुखी बेदखली अपने आप में संवैधानिक रूप से अवैध है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है जिसमें सार्विक भेदभाव को स्वीकृति नहीं दी गई है।

### प्रस्तावित संशोधन

अधिनियम में इस बात का खास प्रावधान होना चाहिए:

अनुच्छेद 3(2) को संशोधन के फलस्वरूप इस तरह लिखा जाए- इस अधिनियम की अनुसूची I में शामिल योजनाओं में इस तरह संशोधन किया जाना चाहिए कि अधिनियम में परिभाषित सभी असंगठित क्षेत्र मजदूर और अधिकृत गजट में जारी अधिसूचना के तहत घोषित सभी असंगठित क्षेत्र मजदूर इस अधिनियम के तहत आने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत आ जाएं।

## 8. (क) आजीविका अधिकार सामाजिक सुरक्षा लाभों का हिस्सा नहीं है
## (ख) अधिनियम को समावेशी बनाया जाना चाहिए

अनुच्छेद 3(1) के अंतर्गत दी गई योजनाओं की सूची में आजीविका अधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया है।

इस अधिनियम में ऐसे लोगों और समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिनको अपने अधिकारों का उपयोग करने में हमेशा रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इसी क्रम में पानी, जमीन और जंगल पर आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपाय जरूरी हैं। दलित मजदूरों को भी जमीन पर अधिकार और भेदभाव से सुरक्षा का अतिरिक्त अधिकार मिलना चाहिए। महिलाओं को इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए जिससे वे स्वतंत्र रूप से लाभान्वित हों; उन्हें हिंसा, उत्पीड़न और भेदभाव से सुरक्षा मिले। इनके अलावा सेक्स वर्कर्स, हिजड़ों, अपाहिजों, परित्यक्त लोगों/बीमारों के लिए भी विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए।

### प्रस्तावित संशोधन

अधिनियम के अनुच्छेद 3(1) को इस प्रकार संशोधित किया जाए -

अनुच्छेद 3(1) केंद्र सरकार अधिकृत गजट में अधिसूचना के जरिए असंगठित क्षेत्र श्रमिक सामाजिक सुरक्षा निधि योजना नामक योजनाएं बना सकती है जिनके तहत इस अधिनियम के तहत परिभाषित असंगठित क्षेत्र मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना की जाएगी। इस निधि को योजना लागू होने के फौरन बाद गठित कर दिया जाएगा और यह निधि इस अधिनियम के प्रावधानों और निम्नलिखित से संबंधित मामलों के बारे में बनाई गई योजनाओं के अनुरूप होगी-

(क) जीवन एवं विकलांगता लाभ;

(ख) स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभ;

(ग) वृद्धावस्था सुरक्षा;

(घ) आजीविका सुरक्षा

(ड.) दलितों, महिलाओं, आदिवासियों, अन्य बेदखल समूहों जैसे सेक्स वर्कर्स, हिजड़े, अपाहिज, छोड़ दिए गए/बीमार लोगों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा तथा

(च) ऐसा कोई भी दूसरा लाभ जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो।

## 9. अपर्याप्त लाभ

### प्रस्तावित संशोधन

ईलाज, प्रसूति अवकाश और पेंशन जैसे लाभ और सुरक्षाएं न्यूनतम नहीं बल्कि आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिए। जिन मामलों में पेंशन को परिभाषित नहीं किया गया है वहां पेंशन को आंकने की कसौटी उस कर्मचारी की आखिरी तनख्वाह का 50% होनी चाहिए।

इसमें अनुच्छेद 3(1)ए के रूप में नया अनुच्छेद जोड़ा जाना चाहिए - अनुच्छेद 3(1)ए : इस अधिनियम के तहत बनाई गई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं किसी भी तरह की लागत सीमा के बिना चिकित्सकीय आवश्यकताओं के अनुरूप ईलाज, प्रसूति एवं दुर्घटना के समय अस्पताल में भर्ती आदि कराने की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। इन योजनाओं के तहत मुआवजा श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुरूप होगा और 60 साल की उम्र पूरी होने पर मिलने वाली पेंशन केंद्र सरकार द्वारा तय की गई आवश्यकता आधारित तनख्वाह का 50% होगी।

## 10. क्रियान्वयन के लिए किसी नोडल मंत्रालय या प्रशासकीय व्यवस्था का इंतजाम नहीं किया गया है

अनुच्छेद 8 में - इस अधिनियम के लिए रिकॉर्ड कीपिंग का जिम्मा जिला प्रशासन को संभालना होगाः

बशर्ते कि राज्य सरकार इस आशय का आदेश दे कि रिकॉर्ड रखने का दायित्व निम्नलिखित द्वारा निर्वाह किया जाएगा-

(क) ग्रामीण इलाकों में जिला पंचायत;

(ख) शहरी इलाकों में शहरी स्थानीय निकाय।

किसी भी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण होता है जो कानून के क्रियान्वयन में समन्वय ला सके, सामाजिक सुरक्षा अधिकारों की डिलीवरी पर निगरानी और स्थिरता सुनिश्चित कर सके और एक सुपरिभाषित प्रशासकीय प्रणाली स्थापित कर सके। इस संबंध में जो राष्ट्रीय एवं राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बनाए गए हैं उनको सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संचालन के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं मिले हैं।

### प्रस्तावित संशोधन

अनुच्छेद 8(ए) के तहत एक उपअनुच्छेद इस प्रकार जोड़ा जाना चाहिएः

अनुच्छेद 8(1) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड एवं राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के तहत भारत सरकार या राज्य सरकार के श्रम मंत्रालय बोर्ड का सचिवालय होगा और व्यापक संचालन, वित्त, वार्षिक रिपोर्ट, क्रियान्वयन, आरटीआई और संसद या राज्य विधायिका के विषय में संबंधित मंत्रालय के सचिव जवाबदेह होंगे।

## 11. सामाजिक सुरक्षा निधि नहीं

इस अधिनियम में किसी वित्तीय ज्ञापन के अभाव तथा 2008-09 व 2009-10 के बजटों में असंगठित क्षेत्र श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के मद में अनुदान आवंटित न करने के फैसलों को देखकर ऐसा लगता है कि देश के असंगठित क्षेत्र मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के मामले में सरकार कतई संजीदा नहीं है। अगर सरकार संजीदा होती तो इस अधिनियम में एक सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना जरूर की जाती और इस निधि के वास्ते बजट आवंटन के लिए एक वित्तीय ज्ञापन भी होता।

### प्रस्तावित संशोधन

हमारा सुझाव है कि अधिनियम के अनुच्छेद 4(1) के तहत निम्नलिखित उपअनुच्छेद जोड़ा जाए।

अनुच्छेद 4(1)ए : एक 'राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि' का गठन किया जाएगा और अधिनियम से संबंधित सभी अंशदान, अनुदान, चंदे और अन्य आय इस 'राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि' में जमा कराई जाएंगी। भारत सरकार असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा के मद में बजट आवंटन के हस्तांतरण हेतु बजट प्रावधान करेगी और यह राशि कुल बजट का न्यूनतम 5 प्रतिशत अवश्य होगी।

## 12. शिकायत निपटारा प्रणाली का अभाव

अधिनियम के क्रियान्वयन में निष्पक्षता और प्रभावोत्पादकता के लिए जरूरी है कि शिकायतों के निपटारे की एक ठोस कामकाजी व्यवस्था मौजूद हो ताकि मजदूरों को अपने अधिकारों के हनन के विरुद्ध अपनी शिकायतें व्यक्त करने का रास्ता मिले।

### प्रस्तावित संशोधन

विवादों के निपटारे पर अधिनियम में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए।

अध्याय VII(1): सरकार को एक आदर्श विवाद निपटारा प्रणाली का गठन करना चाहिए जो प्रत्येक व्यवसाय के असंगठित क्षेत्र श्रमिकों की शिकायतों पर सुनवाई करे। इस प्रणाली में स्थानीय प्रशासन, नियोक्ताओं, पुलिस और अन्य अधिकारियों को शामिल किया जाएगा और यह प्रणाली रोजगार, आजीविका, अवैध कब्जे, विस्थापन, भूमि अधिकारों, भेदभाव, राज्य की कार्रवाइयों आदि से संबंधित शिकायतों पर सुनवाई करेगी। इस प्रणाली को विभिन्न पक्षों को हाजिर होने का आदेश देने, सबूत दर्ज करने, निरीक्षण व जांच करने, रिकॉर्ड बरामद करने और विभिन्न विवादों के निपटारे के लिए आवश्यक अन्य शक्तियां प्राप्त होंगी और यह व्यवस्था जरूरत पड़ने पर किसी विवाद को आर्बिट्रेशन के लिए भी भेज सकती है।

## 13. बोर्ड के गठन एवं शक्तियों में अस्थिरताएं

कहने को तो यह अधिनियम असंगठित क्षेत्र मजदूरों के लिए है लेकिन उनके प्रतिनिधित्व के लिए संगठित क्षेत्र मजदूरों को चुना गया है।

सामाजिक सुरक्षा बोर्डों को अधिनियम के अनुसार केवल परामर्श की भूमिका दी गई है। यह बोर्ड केवल तभी प्रभावी होगा जब उसे आदेश देने और फैसलों को लागू करने का भी अधिकार दिया जाएगा।

### प्रस्तावित संशोधन

अनुच्छेद 5(2)(सी)(i) तथा अनुच्छेद 5(2)(सी)(ii) में से 'क्षेत्र' शब्द को हटा दिया जाए।

अनुच्छेद 5(8)(सी) में 'निगरानी' शब्द के स्थान पर 'संचालन एवं क्रियान्वयन' शब्दों को रखा जाना चाहिए जिससे

अनुच्छेद 5(8)(सी) इस प्रकार हो जाएगा : असंगठित क्षेत्र मजदूरों के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संचालित एवं क्रियान्वित की जाएं।

अनुच्छेद 6(8)(सी) : असंगठित क्षेत्र मजदूरों के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संचालित एवं क्रियान्वित की जाएं।

## 14. नियोक्ता का पंजीकरण

इस कानून में नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों में नियोक्ता के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली गई है। अधिनियम में असंगठित क्षेत्र मजदूरों के नियोक्ताओं के पंजीकरण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

Social Security Now!

POORA KAAM, POORA DAAM
POORI SURAKSHA, POORA MAAN

Bihar Chamber of Commerce, Anta Ghat (Near Gandhi Maidan)
Near Patna District Magistrate Office
Patna, Bihar

---

*Conceived by:* **The Information and Feature Trust, New Delhi**

*Design:* **Aspire Design**

*Printed at:* **Verma Printographics**